रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 1990 (ज्येष्ठ 5, 1912)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 1990 (JYAISTHA 5, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमो तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	409
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	583
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियो, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध मे अधिसूचनाए	665
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशो और विनियमो का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रो के प्रशासनो को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनो को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमो और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठो को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाए	549
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	469
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायो द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1719
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियो और गैर-सरकारी, निकायो द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	67
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनो में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	

*आंकड़े नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	409
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	583
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	665
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	549
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	469
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1719
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	67
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1990

स. 45-प्रेज/90—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री अर्जुन सिंह बानरा,
कान्सटेबल स. 128,
बी. एम. पी.-11,
जिला हजारीबाग,
बिहार ।

श्री जैना सिन्कू,
कान्स्टेबल स. 41, "डी" कम्पनी,
बी. एम. पी.-11,
जिला हजारीबाग,
बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

28 दिसम्बर, 1987 को "डी" कम्पनी बी. एम. पी.-11, तीन ट्रकों में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ उनको बचाने तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए गई, जिसमें एक हवलदार और कान्स्टेबल अर्जुन सिंह बानरा और जैना सिन्कू सहित 6 कान्स्टेबल थे । पुलिस दल दो ग्रुपों में विभाजित हो गया और जंगल विभाग के कर्मचारियों के साथ अलग-अलग ट्रकों में बैठकर थाना प्रतापपुर क्षेत्र से चल दिया और कुण्डा थानाक्षेत्र के जंगल में घुस गया । लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न इन पर उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया । पहला ट्रक आगे निकल गया और घात से बच गया । वन विभाग के कर्मचारियों और एक हवलदार और तीन कान्स्टेबलों (अर्जुन सिंह बानरा और जैना सिन्कू सहित) को ले जा रहे दो अन्य ट्रकों को लगभग दो सौ उग्रवादियों के एक ग्रुप ने घेर लिया, जो राइफल्स, बन्दूक तथा अन्य खतरनाक हथियारों से लैस था । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोली चलायी और एक गोली एक ट्रक के ड्राइवर को लगी । हवलदार की जांघ गोली लगने से जख्मी हो गई और एक कान्स्टेबल घटना स्थल पर ही मारा गया । ऐसी परिस्थितियों में केवल कान्स्टेबल अर्जुन सिंह बानरा और जैना सिन्कू ही उग्रवादियों से मुकाबला करने और वन विभाग के अन्य कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए शेष रह गए । ऐसी अतिविषम परिस्थिति में निर्भय होकर दोनों कान्स्टेबलों ने स्थिति का सामना किया और पूर्ण दृढ़ता से उग्रवादियों का मुकाबला किया । दोनों जवानों ने एक छोटे गड्ढे में पोजीशन ली और उग्रवादियों पर गोली/छर्रा लग गया था । दोनों जवानों द्वारा लड़ी गई धुआंधार लड़ाई के फलस्वरूप आतंकवादी वन विभाग के पकड़े हुए कर्मचारियों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गये और जंगल में भाग गये । इसके बाद कान्स्टेबल अर्जुन सिंह बानरा और जैना सिन्कू ने वन विभाग के कर्मचारियों और घायल पुलिस कर्मियों और ट्रकों के सुरक्षित वापस लौटने की व्यवस्था की । इस घटना में कान्स्टेबल अर्जुन सिंह बानरा और जैना सिन्कू ने अपनी राइफल से क्रमशः 18 राउण्ड और 4 राउण्ड गोलियां चलाईं ।

इस मुठभेड़ में श्री अर्जुन सिंह बानरा और श्री जैना सिन्कू, कान्स्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 दिसम्बर, 1987 से दिया जाएगा ।

सं. 46-प्रेज/90—राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री क्वशिक दिनकरराय पांडया,
पुलिस उप-निरीक्षक,
अपराध शाखा,
अहमदाबाद सिटी,
गुजरात।

श्री नवल सिंह कांजीभाई बघेला,
कान्स्टेबल, डी.सी.बी.,
अहमदाबाद सिटी,
गुजरात।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

इस बात की सूचना प्राप्त होने पर कि बाबू भैया और उनके साथी जिनके पास एक मारुति कार नं. जी.सी.बी-3753 है सूरत के अथवालाइन्स क्षेत्र के अपार्टमेंट में मौजूद हैं, श्री क्वशिक दिनकरराय पांडया, पुलिस उप-निरीक्षक तथा अन्य व्यक्ति (कान्स्टेबल नवल सिंह कांजीभाई बघेला सहित) 25 मई, 1989 को सबेरे ही सूरत के लिए रवाना हुए। सूरत पहुंचने पर पुलिस दल ने वहां एक विश्राम गृह में अपने रहने की व्यवस्था की और उसके बाद सूचना पुष्टि करने और अपराधियों के छुपने के स्थान का पता लगाने के लिए अम्बानिकेतन क्षेत्र की छानबीन की। अम्बानिकेतन क्षेत्र की छानबीन करते समय उन्होंने अभिनव अपार्टमेंट के नजदीक मारुति कार नं. जी.सी.बी.-3753 को खड़ी देखा और इससे सूचना की पुष्टि का बहुत बड़ा भेद मिल गया। उसके बाद पुलिस दल अपने दल के अन्य साथियों को ले जाने के लिए अपने विश्राम-गृह को वापस आया ताकि वे

उस विशिष्ट फ्लैट का पता लगा सकें, जिसमें अपराधी छिपे थे। सावधानीपूर्वक छानबीन करने के बाद पुलिस दल अभिनव अपार्टमैंट के उस फ्लैट नं. 1/2 का पता लगाने में सफल हो गया, जिसमें गिरोह के शरण लेने की संभावना थी। पुलिस दल ने आस-पास की स्थिति तथा उस स्थान का जहां अपराधी छिप हुए थे, सावधानीपूर्वक जायजा लिया ताकि वे पुलिस की गोलीबारी से बचकर नहीं भाग सकें। पुलिस दल ने अपराधियों के बचकर भागने के मार्ग पर घेरा डालकर मोर्चा संभाला और उप-निरीक्षक श्री क्वेशिक विनकरराय पांडया तथा उनके दल ने अपनी जान खतरे में डालकर 26 मई, 1989 को प्रातः अपराधियों के छिपने के स्थान पर धावा बोल दिया। श्री पांडया ने दरवाजे की घंटी बजाई और इस पर बाबू भैया ने दरवाजे से झांककर बाहर देखा। इससे पहले कि अपराधी किवाड़ बंद कर लेता श्री पांडया तेजी से कमरे में घुस गए और उनके पीछे कान्स्टेबल नवल सिंह कांजीभाई बघेला भी कमरे में घुस गए। बाबू भैया ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, परन्तु पुलिस अधिकारियों ने उसे दबोच डाला। इसी बीच पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने भी कमरे में प्रवेश किया और बाबू भैया के साथी जीतेन्द्र रमेश भाई पटेल को दबोच डाला।

इस मुठभेड़ में श्री क्वेशिक विनकरराय पांडया, पुलिस उप-निरीक्षक और श्री नवल सिंह कांजीभाई बघेला, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 मई, 1989 से दिया जाएगा।

सं. 47-प्रेज/90—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री खूबी राम,
पुलिस उप-अधीक्षक,
48 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री वी. के. बी. नाम्बियार,
नायक नं. 680426495,
48 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

31 अक्तूबर, 1988 को सरहाली मन्द क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों के विचरण की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर श्री खूबी राम, पुलिस उपाधीक्षक, 48 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नेतृत्व में 24 अधिकारियों/जवानों (जिसमें नायक श्री के. बी. नाम्बियार भी शामिल थे) के दल के साथ एक विशेष छानबीन की व्यवस्था की गई। दिन के 12 बजे के लगभग छानबीन अभियान सरहाली मन्द गांव के बाहरी हिस्से से शुरू हुआ। सभी फार्म घरों और पम्प घरों की छानबीन करते समय यह सूचना प्राप्त हुई कि दर्गापुर गांव के समीप फौजी के फार्म घर में कुछ उग्रवादी देखे गए हैं। श्री खूबी राम अपने दल को साथ तुरन्त दर्गापुर गांव के लिए चल दिए और वहां पहुंच कर उन्होंने अपने जवानों को उस क्षेत्र को घेर लेने और सावधानीपूर्वक फार्म-घर की ओर बढ़ने के आदेश दिए। पुलिस दल के फार्म-घर के समीप पहुंचते ही एक उग्रवादी ने उन्हें देख लिया और फार्म-घर के अंदर के दूसरे उग्रवादियों को सावधान कर दिया। उग्रवादियों ने तुरन्त पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। श्री खूबी राम ने अपने जवानों को उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। एक उग्रवादी दर्गापुर गांव की ओर भागा और शेष दो ध्यान महन्ता गांव की ओर भागे। जो उग्रवादी दर्गापुर गांव की ओर भाग रहा था, उसका पीछा एक उप-निरीक्षक और उसके दल ने किया और उन्होंने उग्रवादी पर गोली चलायी। दोनों ओर से गोलीबारी में उग्रवादी मारा गया।

श्री खूबी राम ने नायक वी. के. बी. नाम्बियार तथा अन्य लोगों के साथ अन्य दो उग्रवादियों का पीछा किया। श्री नाम्बियार, जो दल के दाहिने ओर से आगे बढ़ रहे थे, भागकर आगे गए और उन्होंने उग्रवादियों को रोकने के लिए उन पर गोली चलायी। उग्रवादी लगभग 5-6 कि. मी. भागने के बाद ध्यान महन्ता गांव में घुसने के लिए बाध्य हो गए। सारा गांव घेर लिया गया। श्री खूबी राम अपने दल के साथ बीच से गांव की ओर बढ़े। उग्रवादियों को, जो आश्रय लेने की कोशिश कर रहे थे, वहां छिपने में कठिनाई हुई और वे वापिस गांव की ओर भागे। श्री खूबी राम ने उनका पीछा किया और उग्रवादी एक पम्प हाउस में घुस गए। उग्रवादियों को पम्प हाउस में घुसते हुए देखकर श्री खूबी राम ने अपनी सर्विस पिस्तौल से गोली चलायी और उग्रवादियों को आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी। परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। श्री खूबी राम ने चिल्लाकर कहा कि वे 2 इंच की मोर्टार बम चला देंगे। यह सुनकर दोनों उग्रवादी पम्प हाउस से बाहर आ गए और पुलिस दल पर गोली चलाते हुए खेतों से हो कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस दल ने भी उग्रवादियों पर गोली चलाई। दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान वे दोनों उग्रवादी जो दो अलग-अलग दिशाओं की ओर भाग रहे थे, मारे गए। तीनों मृतक उग्रवादी बाद में सतनाम सिंह उर्फ सन्ता, अवतार सिंह उर्फ थारी और स्विन्दर सिंह के रूप में पहचाने गए।

इस मुठभेड़ में श्री खूबी राम, उपाधीक्षक और श्री वी. के. बी. नाम्बियार नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 से दिया जाएगा।

सं. 48-प्रेज/90—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री धर्मराज द्विवेदी,
कान्स्टेबल सं. 841,
जिला छतरपुर,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

14 जून, 1988 को रात के 9.10 बजे एक दम्पत्ति गल्ला मण्डी में खरीददारी करके अपने घर कार में लौट रहे थे। जब वे इलाहाबाद बैंक के नजदीक पहुंचे तो देशी पिस्तौल से लैस दो अपराधियों ने महिला के गले से सोने की जंजीर खींच ली। अपराध

करने के बाद अपराधियों ने भागने की कोशिश की । महिला और अन्य लोग मदद के लिए चिल्लाए । इस समय धर्मराज द्विवेदी, जिन्हें एक अन्य अपराधी का खोज करने के लिए प्रोतोनियुक्त किया गया था, ने लोगों का शोर सुना । अपराधियों को गल्ला मण्डी की ओर भागते हुए देखकर वे, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, तत्काल उनके पीछे दौड़ पड़े । कुछ ही समय में उन्होंने एक अपराधी को दबोच लिया । उन्होंने अपराधी की पहचान भी लिया। इसी बीच दूसरे अपराधी ने अपने पिस्तौल से कान्स्टेबल द्विवेदी पर गोली चलाई और भाग गया। गोली लगने से जख्मी होने और खून बहने की वजह से अपराधी पर कान्स्टेबल द्विवेदी की पकड़ ढीली हो गई और अपराधी भाग गया । श्री द्विवेदी बेहोश हो गए और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 24 दिन तक उनका इलाज होता रहा।

इस मुठभेड़ में श्री धर्मराज द्विवेदी, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जून, 1988 से दिया जाएगा।

राजीव महर्षि,
राष्ट्रपति का उप-सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1990

सं. एफ. 11 (1)88-वि.स.स्की.का.स.—उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति का गठन तारीख 9-7-1981 के संकल्प द्वारा किया गया था ।

और उपरोक्त संकल्प के अनुसरण में तारीख 12-2-1986 की अधिसूचना द्वारा वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति दो वर्ष की अवधि के लिए बनाई गई थी ।

और वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की अवधि जो 12-2-1988 से छह मास के लिए चार बार अधिसूचना सं. 6(34)/81-क.सं. तारीख 10 मार्च, 1988, 25 अगस्त, 1988 तथा अधिसूचना स. एफ 11 (1)/88-वि.स.स्की.का.स. तारीख 11 मई, 1989 और 11-8-89 द्वारा बढ़ाई गई थी, 30-4-1990 को समाप्त होती है।

अतः अब राष्ट्रपति तारीख 1 अगस्त, 1989 को समसंख्यक अधिसूचना के अनुसरण में वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति को जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ए. एम. अहमदी हैं, अवधि को तारीख 1-5-1990 से 31-10-1990 तक छह मास की और अवधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति का गठन विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के निबंधनों के अनुसार नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाते हैं ।

वि. प्रभाकर राव,
विशेष सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1990

एफ सं. 1/11034/13/88-एन.आई.डी.(1)—भारत सरकार ने "कबीर पुरस्कार" के नाम से एक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है । इस पुरस्कार की तीन श्रेणियां होंगी, नामतः श्रेणी एक, श्रेणी दो तथा श्रेणी तीन, तथा इसे प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा । इस पुरस्कार का नाम तथा इसके साथ दिया जाने वाला नकद पुरस्कार निम्नवत होगा :—

कबीर पुरस्कार	श्रेणी I	20,000/- रु०
कबीर पुरस्कार	श्रेणी II	10,000/- रु०
कबीर पुरस्कार	श्रेणी III	5,000/- रु०

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उपयुक्त प्रशस्ति पत्र के साथ एक प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा । इस पुरस्कार को निम्नवत विनियमित किया जाएगा :—

1. उद्देश्य :

यह पुरस्कार साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने तथा किसी एक समुदाय के सदस्यों द्वारा किसी अन्य समुदाय के सदस्यों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने हेतु प्रदर्शित शारीरिक/नैतिक/साहसिक तथा मानवतापूर्ण कार्यों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। किसी अन्य समुदाय के सदस्यों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने में दिखाए गए ऐसे साहस तथा तत्परता के कारण स्वयं बचाने वाले/बचाने वाली तथा उनके परिवार के सदस्यों के जीवन/शरीर/संपत्ति को भी खतरा हो सकता है । पुरस्कार की श्रेणी का निर्णय करने हेतु तीन प्रकार के मानदंड निर्धारित किए गए हैं । प्रत्येक साहसिक कार्य के महत्ता, जैसी कि राज्य सरकार या संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रिपोर्ट दी गई है, के आधार पर पुरस्कार की श्रेणी का निर्णय करने का अधिकार पूर्णतः खंड 6 में उल्लिखित जांच समिति पर छोड़ दिया गया है ।

2. पात्रता :

कबीर पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो साम्प्रदायिक दंगों के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी अन्य समुदाय के सदस्य(यों) के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने हेतु अदम्य शारीरिक/नैतिक साहस का परिचय देगा । सभी भारतीय नागरिक चाहे वे किसी भी लिंग, व्यवसाय से सम्बंधित हों (सशस्त्र सेनाओं, पुलिस बल, मान्यताप्राप्त अग्निशमन सेवाओं के सदस्यों तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिनके द्वारा किया गया कार्य उनके कर्त्तव्य में शामिल हो), इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं (होंगे) ।

3. पुरस्कार का स्वरूप :

नकद पुरस्कार अनावर्ती है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुवर्ती अवसर पर दुबारा ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं होगी । इस प्रकार प्रदर्शित समान कार्य के लिए किसी अन्य पुरस्कार या प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत व्यक्ति साधारणतः कबीर पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे ।

4. मानदंड :

इन तीन श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाया जाएगा :—

(1) दूसरे समुदाय के सदस्य (यों) के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने वाले व्यक्ति के जीवन को

गंभीर खतरा होते हुए उसके द्वारा प्रदर्शित अति-विशिष्ट शारीरिक/नैतिक साहस के लिए, अथवा अन्य समुदाय के व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में रक्षा करने वाले व्यक्ति अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा उनके स्थाई रूप से अक्षम हो जाने पर;

(ii) दूसरे समुदाय के सदस्यों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने वाले व्यक्ति के जीवन का खतरा होते हुए, जिससे उसे शारीरिक चोट आई हो, विशिष्ट शारीरिक/नैतिक साहस अथवा तत्परता दिखाने के लिए;

(iii) दूसरे समुदाय के सदस्यों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करने में प्रदर्शित शारीरिक/नैतिक साहस तथा तत्परता के लिए ।

5. पुरस्कारों की संख्या :

इन तीन श्रेणियों के पुरस्कारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है । यह संख्या संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की गई सिफारिशों तथा इस प्रयोजनार्थ गठित जांच समिति द्वारा पुरस्कारों के अंतिम चयन/अनुमोदन पर निर्भर करेगी ।

6. चयन की पद्धति :

पुरस्कार के लिए सभी सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से की जाएंगी तथा ऐसे प्रस्तावों को जांच समिति के समक्ष जिसमें गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक तथा कल्याण मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे, रखा जाएगा । इस समिति की सिफारिशों को गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

7. पुरस्कार घोषित किए जाने का समय :

पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर को की जाएगी ।

8. प्रस्तुतीकरण :

पुरस्कार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा तथा इसे इस प्रयोजनार्थ नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधान मंत्री द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को दिया जाएगा ।

9. पुरस्कार की अधिसूचना :

जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे उनके नाम भारत के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

10. इस पुरस्कार की योजना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

सनत कौल, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1990

संकल्प

सं. ई. 11017/11/88-रा.भा.कार्यान्वयन—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के विषय में इस मंत्रालय के 20 फरवरी, 1989 के संकल्प संख्या ई. 11017/11/88-रा.भा.कार्या. में क्रम संख्या 5,6, 7 और 8 पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं:—

5. श्री हीराभाई, संसद सदस्य (लोक सभा)—सदस्य

6. श्री रूद्रसेन चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा)—सदस्य

7. श्री राजूभाई परमार, संसद सदस्य (राज्य सभा)—सदस्य (पुनः नामित)

8. श्री तलरी मनोहर, संसद सदस्य (राज्य सभा)—सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासना, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

विनीता राय, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 1990

संकल्प

विषय : माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम का व्यावसायीकरण ।

सं. एफ 7-3/88-बी.ई.—व्यावसायिक शिक्षा एक विशिष्ट शैक्षिक धारा है जिसका उद्देश्य विभिन्न कार्यकलापों के क्षेत्रों में फैले हुए पता लगाए गए व्यवसायों के लिए छात्रों को तैयार करना है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की विविधता प्रदान करना है ताकि वैयक्तिक नियोज्यता में वृद्धि की जा सके, कुशल जनशक्ति की मांग तथा सप्लाई के बीच व्याप्त बेमेल को कम करना तथा उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वालों के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराया जा सके । व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में 1 से 3 वर्ष तक की सीमा की न्यून अवधि से माध्यमिक स्तर के बाद प्रदान किए जाते हैं । इस योजना के अन्तर्गत, सहायता की पद्धति के अनुसार अनुमोदित प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है ।

2. व्यावसायिक कार्यक्रमों की उपयुक्त आयोजना तथा समन्वय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद गठित करने का निर्णय किया गया है । इसके कार्य इस प्रकार होंगे :—

— विभिन्न संगठनों/मंत्रालयों द्वारा संचालित व्यावसायिक कार्यक्रमों की आयोजना तथा समन्वय;

—निम्नलिखित के लिए मार्गदर्शी दिशा-निर्देश निर्धारित करना;

*जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन

*सभी स्तरों पर व्यावसायिक कार्यक्रमों का विकास;

*सेतु/स्थानान्तरण पाठ्यक्रमों का विकास;

*शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण;

*पाठ्यपुस्तकों तथा शैक्षिक सामग्रियों का विकास;

*व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जिसमें वे भी पाठ्यक्रम शामिल हैं जो गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं, का प्रत्यायन और प्रमाणन ।

— विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक सुविधाओं का सृजन करने के लिए योजनाएं तैयार करना;

— व्यावसायिक शिक्षा में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र उद्योग की सहभागिता के लिए योजनाएं तैयार करना;

— कामगरों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम आरंभ करने तथा गैर-औपचारिक कार्यक्रमों के जरिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करना;

— व्यावसायिक कार्यक्रमों की आवधिक रूप से पुनरीक्षा करना;

— विशेष वंचित वर्गों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाना तथा उनकी मदद करना ।

3. संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधीनस्थ निकाय होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे :—

अध्यक्ष

1. केन्द्रीय सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री

उपाध्यक्ष

2. राज्य मंत्री (शिक्षा)

सदस्य

3. सदस्य, शिक्षा योजना आयोग
4. सचिव, शिक्षा
5. सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)
6. सचिव, स्वास्थ्य/म.नि.स्वा. सेवा
7. सचिव, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
8. सचिव, श्रम/डी.जी.ई.टी.
9. सचिव, कार्मिक
10. सचिव, ग्रामीण विकास
11. सचिव, महिला तथा बाल विकास
12. सचिव, इलेक्ट्रानिक्स
13. अध्यक्ष, वि.अनु.आ.
14. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
15. निदेशक, रा.शै अ.प्र.स.
16. निदेशक, रा.शै.अनु.प्र.परि.
17. निदेशक, नवोदय विद्यालय समिति
18. निदेशक, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान
19. अध्यक्ष, केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड
20. अध्यक्ष, के मा.शि.बो.
21. अध्यक्ष, ओपन स्कूल
22. वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
23. प्रमुख, शिक्षा के व्यावसायीकरण का विभाग, रा.शै.अनु.प्र. परिषद्

24–25. व्यावसायिक शिक्षा में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों के दो व्यक्ति ।

नाम इस प्रकार हैं :—

1—श्री वी. कातरा, निदेशक, भारतीय ग्रामीण कामगर संस्थान, औरंगाबाद ।

2—डा. ए. के. बसु, मुख्य कार्यकारी, ग्रामीण औद्योगिकरण सोसाइटी, रांची ।

26–27. महिला प्रशिक्षण तथा नियोजन में ज्ञान रखने वाले तथा रुचि रखने वाले दो व्यक्ति । नाम इस प्रकार हैं :—

— श्रीमती ए. पार्वती, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालिटेक्निक, कोयम्बटूर ।

— श्रीमती राण बनर्जी, एम. ई. डब्ल्यू., ए., लखनऊ

28–30. तीन संसद सदस्य

(दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से)

31–34. निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के व्यावसायिक शिक्षा पर कार्रवाई करने वाले चार मंत्री । सदस्यता दो वर्ष की अवधि के लिए चक्र-क्रम द्वारा होगी । कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम-बंगाल ।

35–38. निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के व्यावसायिक शिक्षा पर कार्रवाई करने वाले चार सचिव । सदस्यता दो वर्ष की अवधि के लिए चक्र-क्रम द्वारा होगी । गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ।

39–42. निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के व्यावसायिक शिक्षा पर कार्रवाई करने वाले चार निदेशक । सदस्यता दो वर्ष की अवधि के लिए चक्र-क्रम द्वारा होगी ।

43–46 निम्नलिखित नियोक्ता संगठनों से चार प्रतिनिधि :

— भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर्स का परिसंघ;

— नेशनल एलायन्स आफ यंग इन्टरप्रीन्योर्स

— भारतीय लघु उद्योगों के संघों का परिसंघ;

— भारतीय महिला स्वामी परिषद ।

47–50. निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के चार प्रतिनिधि :

— सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन;

— आई. टी डी. सी ;

—रेलवे-बोर्ड

— सामान्य बीमा निगम ।

51–56 व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में 6 शिक्षाविद :

— डा. एस. एस. कालबाग, निदेशक, विज्ञान आश्रम, पुणे

— डा. बी. बी. कुलानन्द स्वामी, कुलपति, इं. गां. रा. मु. वि.

— कुमारी अमृता पटेल, प्रबन्ध निदेशक, एन डी डी बी, आनन्द, गुजरात

— श्री खादर अली खान, हैदराबाद

— श्री एम. एस. कामथ, प्रधानाचार्य, एम ई एस कालेज, गोवा

— ब्रदर मैथ्यू, अधीक्षक, डान बोस्को तकनीकी स्कूल लिलूआ, हावड़ा

57–61. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित अखिल भारतीय स्तर के व्यावसायिक संगठनों से 5 प्रतिनिधि

— (एन सी वी टी) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद

— भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

— भारतीय दंत परिषद

— भारतीय नर्सिंग परिषद

— राष्ट्रीय उद्यमशीलता तथा लघु वाणिज्य विकास संस्थान

62–63 तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के दो प्रतिनिधि

— प्रधानाचार्य, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़

— प्रधानाचार्य, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल

64–65. क्षेत्रीय प्रशिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड के दो निदेशक

— निदेशक, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता

— निदेशक, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास

66–71 प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 विशेषज्ञ

— डा. सी. प्रसाद उपमहानिदेशक, (कृषि विस्तार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

— डा. एस. डी. शर्मा, उपमहानिदेशक स्वास्थ्य मंत्रालय

— प्रो बिज किशोर, प्रोफेसर प्रबन्ध उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

— डा एस एस. राजगोपालन, प्रधानाचार्य सर्वजन हाई स्कूल, पीलमेडु, कोयम्बटूर

— डा. ए रामचन्द्रन नायर प्रमुख, ललित कला तथा कला शिक्षा विभाग जामिया मिल्लिया इस्लामिया

— डा. तारा गोपालदास डीन, गृह विज्ञान संकाय, एम एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा।

72. सदस्य-सचिव संयुक्त सचिव, प्रभारी, व्यावसायिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

4. व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद की एक स्थायी समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है जिसकी बार-बार बैठकें होती रहेंगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सौंपे गये कार्य कारगर ढंग से पूरे हों। स्थायी समिति की निम्नलिखित संरचना है :—

1. अध्यक्ष शिक्षा सचिव

2. सदस्यगण सदस्य-सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद शिक्षा विभाग

3. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से निचले स्तर का नहीं)

4. प्रमुख, शिक्षा व्यावसायीकरण विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

5. महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण

6. संयुक्त सचिव (व्यावसायिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

7. श्री एम. एस. कामथ, एम. ई. एस., कालेज, गोवा

8. भारतीय नर्सिंग परिषद का प्रतिनिधि

9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि

10. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद

11. श्रीमती ए. पार्वती, प्रधानाचार्य राजकीय महिला पालिटेक्निक, कोयम्बटूर

12. प्रो. बिज किशोर, प्रोफेसर, प्रबन्ध, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

13. डा. एस. एस. कलबाग, विज्ञान आश्रम, पुणे

14–19. निम्नलिखित 6 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव अथवा निदेशक जो व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित हैं :— तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा और संघ शासित प्रदेश – दिल्ली।

20 सदस्य-सचिव उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार (व्यावसायिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय

5. व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त परिषद अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं निश्चित करेगी तथा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बैठक बुलाएगी तथा अपनी स्थायी समिति के साथ जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार बैठक आयोजित करेगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, सभी मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों तथा सम्बंधित एजेंसियों और नियोक्ता संगठनों को भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. (श्रीमती) डी. एम. डी. रीबेलो, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 4th May 1990

No. 45-Pres/90.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Bihar Police :—

Name and rank of Officers

Shri Arjun Singh Banra,
Constable No. 128,
BMP-11,
District Hazaribagh,
Bihar.

Shri Jaina Sinku,
Constable No. 41, 'D' Coy.,
BMP-11,
District Hazaribagh,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 28th December, 1987, one Section of 'D' Coy., BMP-11 comprising of one Havildar and six constables including Constables Arjun Singh Banra and Jaina Sinku, accompanied by the Forest Staff, in three trucks, went to provide them protection and to safeguard their property. The Police party got divided into two groups and boarded different trucks, alongwith the forest staff and left Pratappur Police Station area and entered the forest in Kunda Police Station area. At about 11.30 A.M. it was ambushed by extremists. The first truck had moved ahead and had escaped the ambush. The other two trucks carrying the forest staff and one Havildar and three constables (including Arjun Singh Banra and Jaina Sinku) were surrounded by a group of about two hundred strong extremists armed with rifles, guns and other deadly weapons. The extremists fired at the Police party and a bullet hit the driver of a truck. The Havildar got a bullet injury in his hip and one constable was shot dead on the spot. In the circumstances, only Constables Arjun Singh Banra and Jaina Sinku were left behind to fight the extremists and to protect the life of other forest staff. Undaunted by such an extremely adverse situation, the two constables rose to the occasion and fought the extremists with utmost determination. Both the jawans took position in a small ditch and fired at the extremists even though Constables Arjun Singh Banra got a bullet/pellet injury on his ear. The ferocity of the fight put up by the two jawans was such that the extremists were compelled to release the captured forest staff and withdrew into the forest. Shri Arjun Singh Banra and Shri Jaina Sinku, Constables, then organised the safe return of the forest staff, the injured policemen and the trucks. In this incident Constables Arjun Singh Banra and Jaina Sinku fired 18 rounds and 4 rounds respectively from their rifles.

In this encounter, Shri Arjun Singh Banra and Shri Jaina Sinku, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order .

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under Rule 5, with effect from the 28th December, 1987.

No. 46-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Gujarat Police :—

Name and rank of the Officers

Shri Kavshik Dinkarrai Pandya,
Sub-Inspector of Police,
Crime Branch,
Ahmedabad City,
Gujarat.

Shri Navalsingh Kanjibhai Waghela
Constable,
D.C.B.,
Ahmedabad City,
Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On receipt of an information about the presence of Babu Bhaiya and his associates in an apartment in the Athwalines area of Surat and that the culprits were having a Maruti Car bearing No. GCB-3753, Shri Kavshik Dinkarrai Pandya, Sub-Inspector of Police and others (including Constable Navalsingh Kanjibhai Waghela) left for Surat in the early hours of the 25th May, 1989. On reaching Surat, the Police party arranged their accommodation in a rest house and thereafter took a round in the Ambaniketan area to verify the information and locate the hideout of the criminals. While moving in Ambaniketan area, they spotted the Maruti Car No. GCB-3753 parked near Abhinav Apartment and it proved to be a major breakthrough. Thereafter the police party returned to their rest-house to bring back other members of the party so as to locate the specific flat of hiding. After a careful watch, the party succeeded in locating flat No. A/2 of Abhinav Apartment where the gang had possibly taken shelter. In order that the criminals may not escape the dragnet of Police firing, the Police party studied the surroundings and the locations of the hideout cautiously, positioned themselves blocking the escape routes and in a most daring operation Sub-Inspector Kavshik Dinkarrai Pandya and the members of his party, exposing to the great danger their lives, struck the hideout of the criminals on the morning of 26th May, 1989. Shri Pandya rang the bell and at this Babu Bhaiya peeped through the door. Before the criminal could shut the door, Shri Pandya thrust himself into the room followed by Constable Navalsingh Kanjibhai Waghela. Babu Bhiaya tried to take out his pistol but the Police Officers over-powered him. In the meantime, other members of the party entered the room and over-powered Jitendra Ramesh Bhai Patel, an associate of Babu Bhaiya.

In this encounter Shri Kavshik Dinkarrai Pandya, Sub-Inspector of Police and Shri Navalsingh Kanjibhai Waghela, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th May, 1989.

No. 47-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officers

Shri Khubi Ram,
Deputy Superintendent of Police,
48 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri V. K. B. Nambiar,
Naik No. 680426495,
48 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 31st October, 1988 on receipt of specific information about movement of some extremists in Sarhali Mand area, a special combing and search operation was conducted under the command of Shri Khubi Ram, Deputy Superintendent of Police, 48 Battalion, Central Reserve Police Force alongwith 24 officers/men (including Naik V. K. B. Nambiar).

At about 1200 hours the combing operation started from the out-skirts of village Sarhali Mand. When the party was searching all the farm houses and pump houses, information was received that some extremists were seen in the farm house of Fouji near Dargapur village. Shri Khubi Ram with his party immediately moved towards village Dargapur and on reaching there he ordered his men to cordon the area and move tactically towards the farm house. As the police party reached near the farm house, an extremist saw the movement of the force and alerted the other extremists inside the farm house. The extremists immediately opened fire on the police party and tried to escape. Shri Khubi Ram ordered his men to open fire to stop the escaping extremists. One of the extremists ran towards village Dargapur and the remaining two ran towards village Thathian Mahanta. The extremist who was running towards village Dargapur was chased by one Sub-Inspector

and his party and fired on the extremist. In the exchange of fire the extremist was killed.

The other two extremists were chased by Shri Khubi Ram along with Naik V. K. B. Nambiar and others. Shri Nambiar, who was moving on the right flank of the party, ran ahead and opened fire on the extremists to pin them down. The extremists after running for nearly 5-6 kilometres, were forced to enter village Thathian Mahanta. The entire village was cordoned off. Shri Khubi Ram with his party moved into the village from the centre. The extremists, who were trying to take shelter, found it difficult to hide and ran towards village Varian. Shri Khubi Ram chased them and the extremists entered into a pump house. On seeing the extremists entering into the pump house, Shri Khubi Ram fired one volley from his service pistol and warned the extremists to surrender. But the extremists opened fire on the police party. Shri Khubi Ram shouted that he will fire 2" Mortor Bomb. On hearing this both the extremists came out of the pump house and tried to escape through the fields while firing on the police party. Police party also fired on the extremists. During the exchange of fire both the extremists who were running in two different directions were killed. All the three dead extremists were later identified as Satnam Singh alias Satta, Avtar Singh alias Thari and Swinder Singh.

In this encounter Shri Khubi Ram, Deputy Superintendent of Police and Shri V. K. B. Nambiar, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st October, 1988.

No. 48-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Dharam Raj Dwevedi,
Constable No. 841,
District Chhatarpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 14th June, 1988 at about 2110 hours one couple was returning to their residence after shopping in Galla Mandi. When they reached near Allahabad Bank, two offenders, armed with country-made pistol, snatched away the golden chain of the lady from her neck. After committing the crime, the offenders tried to run away. The lady and other people shouted for help. At this time Constable Dharam Raj Dwevedi, who was deputed to search another accused, heard the noise of the people. He saw the offenders running towards Galla Mandi and immediately rushed after the criminals without caring for his personal safety. Within a short span of time he over-powered one of the accused. He also identified the accused. In the meantime the other accused fired from his pistol on Constable Dwevedi and ran-away. After getting pellet injuries and due to loss of blood, Constable Dwevedi lost his grip on the accused and the accused ran away. Shri Dwevedi became unconscious and was rushed to hospital. He remained under treatment in the Hospital for 24 days.

In this incident Shri Dharam Raj Dwevedi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th June, 1989.

RAJIV MEHRISHI, Dy. Secy.
RAJIV MEHRISHI, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 19th April 1990

No. F. 11(1)/88-CILAS.—Whereas the Supreme Court Legal Aid Committee was constituted by a Resolution dated 9-7-1981.

AND WHEREAS by the Notification dated 12-2-1986, the present Supreme Court Legal Aid Committee was formed in pursuance of the above Resolution for a period of two years.

AND WHEREAS the term of the present Supreme Court Legal Aid Committee having been extended four times for a period of six months each with effect from 12-2-1988 *vide* Notifications No. 6(34)/81-IC dated 10th March, 1988 and 25th August, 1988 and Notification No. F. 11(1)/88-CILAS dated 11th May, 1989 and 11th August, 1989; expires on 30-4-1990.

NOW, therefore, the President in continuation to the Notification of even number dated 1st August, 1989 is pleased to extend the term of the present Supreme Court Legal Aid Committee, headed by Justice Shri A. M. Ahmadi, for a further period of six months, with effect from 1-5-1990 to 31-10-1990, or till the Supreme Court Legal Services Committee is constituted in terms of the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 whichever is earlier.

CH. PRABHAKARA RAO Special Secy

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd April 1990

No. I/11034/13/88-NIDI.—It has been decided by the Government of India to institute a National Award to be designated as "Kabir Puraskar" in three grades, namely Grade One, Grade Two and Grade Three to be awarded each year. The Award carries title and cash award as indicated below :—

(i) Kabir Puraskar Grade-I Rs. 20,000/-

(ii) Kabir Puraskar Grade-II Rs. 10,000/-

(iii) Kabir Puraskar Grade-III. Rs. 5,000/-

A certificate with suitable citation shall also be awarded to the recipients. The Award will be regulated as under :—

1. *PURPOSE* :

This Award is being instituted to promote communal harmony by recognising acts of physical/moral courage and humanity exhibited by members of one community in saving lives and properties of the members of another community. Such courage and promptitude a saving life and property of member(s) of another community shall also involve a danger to the life/body/property of the rescuer himself or herself and to his or her family members. Three sets of criteria have been prescribed to decide the category of Award. It is entirely left to the Screening Committee mentioned in clause 6 to decide upon the category of Award on the merits of each individual act of courage as reported by State Government or U.T. Administration.

2. *ELIGIBILITY* :

The Puraskar shall be awarded to an individual for his conspicuous acts of physical/moral courage displayed under circumstances of danger to the life of the rescuer in saving life and property of member(s) of another community during communal riots. All Indian citizens of either sex in all walks of life (other than members of the Armed Forces Police Forces and members of recognised fire services, Government servants, if the act performed by them falls in the sphere of their duty shall be eligible for this award.

3. *NATURE OF AWARD*

The cash award is non-recurring. There shall be no bar on a person receiving such award for a second time on a subsequent occasion. Persons in receipt of any other award or citation for the same act so exhibited would not be eligible ordinarily for the Kabir Puraskar

4. *CRITERIA*

The criteria for three grades of award is as under :—

(i) For most conspicuous act of physical/moral courage displayed under circumstances of very great danger to the life of rescuer, or an act resulting in death or the permanent incapacitation of the rescuer/his or her family member(s) in saving life and property of member(s) of another community;

(ii) For conspicous act of physical/moral courage or promptitude under circumstances of danger to the life of the rescuer resulting in bodily injury in saving life and property of member(s) of another community,

(iii) For act of physical/moral courage and promptitude in saving life and property of member(s) of another community.

5. *NUMBER OF AWARD*

There is no fixed number of the three series of Awards It would depend upon the recommendations to be made by the respective State/UT Governments and the final selection approval of the Screening Committee set up for the purpose

6. *METHOD OF SELECTION* :

All recommendations for the Award shall be made through State/UT Governments and such proposals shall be placed before the Screening Committee consisting of Home Secretary, Director, Intelligence Bureau, and Secretary in the Ministry of Welfare. The recommendations of this Committee shall be placed before the Union Home Minister and the Prime Minister for approval.

7. *TIMING OF ANNOUNCLMENT OF AWARD* :

The Award shall be announced on 2nd October, each year

8 *PRESENTATION* :

The Award may be given by the Central Government and presented to the recipients by the Prime Minister at a function organised for the purpose at New Delhi.

9. *NOTIFICATION OF THE AWARD* .

The names of those persons upon whom such awards are conferred shall be published in the official gazette

10. The Scheme of this Award will come into force from the date it is notified in the official gazette

SANAT KAUL, Jt Secy

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 25th April 1990

RESOLUTION

No. F.11017/11/88-OLI.—In this Ministry's Resolution No. F. 11017/11/88-OLI dated the 20-2-1989 regarding regarding reconstitution of Hindi Advisory Committee for the Ministry of Health and Family Welfare at serial Nos 5, 6, 7 and 8, the following entries may be inserted :-

Member

5. Shri Heerabhai Member of Parliament. (Lok Sabha).

Member

6. Shri Rudra Sen Choudhary, M.P (Lok Sabha).

Member (Re-nominated)

7. Shri Raju Bhai Parmar, M.P (Rajya Sabha).

Member

8. Shri Talari Manohar, M.P (Rajya Sabha).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments & Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues and all the Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VINETTA RAI, Jt Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 20th April 1990

RESOLUTION

Subject :—Vocationalisation of Secondary Education Programme.

No. F.7-3/88-VE.—Vocational Education is a distinct stream intended to prepare students for identified occupations spanning several areas of activity. The main objectives of the scheme of Vocationalisation of Secondary Education are to provide diversification of educational opportunities so as to enhance individual employability, reduce the mismatch between demand and supply of skilled manpower and to provide an alternative for those pursuing higher education. The Vocational Courses are provided in general education institutions after the secondary stake with flexible duration ranging from 1 to 3 years. Under this Scheme assistance is given to the States/UTs for approved purposes according to a pattern of assistance.

2. In order to ensure proper planning and coordination of vocational programmes it has been decided to set up a Joint Council for Vocational Education at the National level Its functions shall be as follows :—

— Planning and coordination of vocational programmes conducted by different organisations/Ministries;

— Lay down guidelines for,

* assessment of manpower needs;
* development of vocational programmes at all levels.
* development of bridge/transfer courses;
* training of teachers and educational administrators;
* development of textbooks and instructional materials;
* accreditation and certification of vocational courses including those conducted by non-governmental organisations

— develop schemes for creating vocational facilities at different levels;

- evolve schemes for involvement of public/private sector industry in vocational education;

-- prepare schemes for undertaking programmes of vocational education for workers and imparting vocational education through non-formal programmes;

- periodically review vocational programmes;

-- identify and support non-governmental organisations engaged in vocational training of special disadvantaged groups;

3. The JCVE will be an umbrella body under the Ministry of Human Resource Development and will include the following representatives :

Chairman

1. Minister incharge of the Department of Education in the Central Government.

Vice Chairman

2. Minister of State (Education).

Members

3. Member Education, Planning Commission

4. Secretary, Education.

5. Secretary, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agricultural Research & Education).

6. Secretary, Health/DGHS.

7. Secretary, Ministry of Industry (Department of Industrial Development).

8. Secretary, Labour/DGET.

9. Secretary, Personnel.

10. Secretary, Rural Development.

11. Secretary, Women & Child Development.

12. Secretary, Electronics.

13. Chiarman, UGC.

14. Member Secretary, All India Council of Technical Education.

15. Director, NIEPA.

16. Director, NCERT.

17. Director, Navodaya Vidyalaya Samiti.

18. Director, Institute of Applied Manpower Research.

19. Chiarman, Central Social Welfare Board.

20. Chiarman, CBSE.

21. Chiarman, Open School.

22. Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development.

23. Head, Department of Vocationalisation of Education, NCERT.

24-25. *Two persons* from voluntary organisations engaged in vocational education.

— Shri V. Kabra, Director, Indian Institute of Rural Workers, Aurangabad.

— Dr. A. K. Basu, Chief Executive Society for Rural Industrialisation, Ranchi.

26-27. *Two persons* knowledgeable and interested in Women's training & employment.

— Smt. A. Parvathi, Principal, Government Women's Polytechnic, Coimbatore.

— Smt. Ranu Banerji, SEWA, Lucknow.

28-30. Three Members of Parliament.

(Tko from Lok Sabha and one from Rajya Sabha).

31-34. Four Ministers dealing with vocational education from the following States/UTs. Membership will be by rotation for a duration of two years.

Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh and West Bengal.

35-38. Four Secretaries dealing with vocational Education from the following States/UTs. Membership will be by rotation for a duration of two years.

Gujarat, Orissa, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.

39-42. Four Directors dealing with vocational education from the following States/UTs. Membership will be by rotation for a duration of 2 years.

Goa, Kerala, Assam and Madhya Pradesh.

43-46. Four representatives of the following employer's organisation :

— Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry;

— National Alliance of Young Entrepreneurs;

— Federation of Associations of Small Scale Industries of India;

— Indian Council of Women Entreprencurs.

47-50. Four representatives of the following Public Sector Undertakings :

— Standing Conference of Public Enterprises.

— ITDC.

— Railway Board.

— General Insurance Corporation.

51-56. Six educationists in the area of vocational education.

— Dr. S. S. Kalbag, Director, Vigyan Ashram, Pune.

— Dr. V. B. Kulandaswami, Vice Chancellor, IGNOU

— Ms. Amrita Patel, Managing Director, NDDB, Anand, Gujarat.

— Shri Khader Ali Khan, Hyderabad.

— Shri M. S. Kamath, Principal, MES College, Goa.

— Brother Matthew, Superintendent, Don Bosco Technical School Liluah, Howrah.

57-61. Five representatives of All India level professional bodies in the areas relevant to vocational education.

— (NCVT) National Council of Vocational Training.

— Indian Council of Agricultural Research.

— Dental Council of India.

— Nursing Council of India.

— National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development.

62-63. Two representatives of TTTIs.

— Principal, TTTI, Chandigarh.

— Principal, TTTI, Bhopal.

64-65. Two Directors of Regional Boards of Apprenticeship Training.

— Director, Board of Apprenticeship Training, Eastern Regional, Calcutta.

— Director, Board of Apprenticeship Training, Southern Region, Madras.

66-71. Six experts representing the major vocational areas.

— Dr. C. Prasad,
Deputy Director General
(Agricultural Extension), ICAR.

— Dr. S. D. Sharma, Deputy Director General,
Ministry of Health.

— Prof. Brij Kishore, Professor of Management,
Osmania University, Hyderabad;

— Dr. S. S. Rajgopalan, Principal Sarvajana
High School, Peelamedu, Coimbatore;

— Dr. A. Ramachandran Nair, Head, Department
of Fine Arts & Arts Education, Jamia Millia
Islamia.

— Dr. Tara Gopaldas, Dean, Faculty of Home Science,
M.S. University, Baroda;

Member-Secretary

72. Joint Secretary, Incharge of Vocational Education, Ministry of Human Resource Development.

4. Keeping in view the functions to be performed by the Joint Council for Vocational Education it has been decided to set up a Standing Committee of Joint Council of Vocational Education which would meet more frequently and ensure that the tasks laid down are effectively performed. The following is the composition of the Standing Committee :—

Chairmna

1. Education Secretary.

Members

2. Member Secretary, All India Council of Technical Education, Department of Education.

3. Representative of Department of Personnel & Training (Not below the level of Joint Secretary)

4. Head, Department of Vocationalisation of Education, NCERT.

5. Director General, Employment & Training.

6. Joint Secretary (Vocational Education), Ministry of Human Resource Development.

7. Shri M. S. Kamath, MES College, Goa.

8. Representative of Nursing Council of India.

9. Representative of Indian Council of Agricultural Research.

10. Chiarman, Central Board of Secondary Education.

11. Smt. A. Parvathi, Principal, Govt. Women's Polytechnic, Coimbatore.

12. Prof, Brij Kishore, Professor of Management Osmania University, Hyderabad.

13. Dr. S. S. Kalbag, Vigyan Ashram, Pune.

14-19. Education Secretaries or Directors dealing with Vocational Education from the following six States/UT.

Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Maharashtra, Assam, Haryana and UT of Delhi.

Member Secretary

20. Deputy Secretary/Dy. Educational Adviser (Vocational Education), Ministry of Human Resource Development.

5. The Joint Council of Vocational Education shall determine its own procedure of work and shall meet at least once a year, with its standing committee meeting as frequently as necessary.

ORDER

ORDERED that the copy of the Resolution be sent to all State Governments/Union Territory Administrations, All Ministries/Departments of the Government of India and the concerned agencies and employers organisations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DR. (MRS.) D. M. de REBELLO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1990